कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक 731/री0ए0डी0एम0/2017 इन्दौर, दिनांक 24/03/2017

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विभिन्न समाचार पत्रों व अन्य माध्यम से अवगत कराया गया कि गया कि इन्दौर में ई-सिगरेट(इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट/पर्सनल वेपोराईजर/इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलेवरी सिस्टम-जिसमें तम्बाकू के पौधों से निकोटिन का प्रयोग लिक्विड सोल्यूशन के रूप में किया जाता है) का चलन तेजी से बढ़ रहा है । नव युवक/युवतियों के साथ अवयस्क बच्चें भी इसकी लत के शिकार हो रहे है । ई-सिगरेट में खुशबुदार द्रव्य के साथ ही कई बार निकोटिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सामान्य सिगरेट कई गुना अधिक घातक है । ई-सिगरेट स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है । युवक-युवतियां एवं किशोर इस अस्वास्थ्यकर वातावरण से अनजाने में ही दूषित पर्यावरण के कारण घातक बीमारियों का शिकार हो सकते है । इसके नशे के कारण कई बार कानून व व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हो रही है । इन समस्त कारणों से मानव जीवन व लोक सम्पत्ति की क्षति संभावित है । इस तरह संचालित किए जा रहे ई-सिगरेट विक्रय केन्द्रों से जन सामान्य के स्वास्थ्य व जानमाल को खतरा आसन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोकशांति भंग होने की प्रबल आशंकाएं व्याप्त हो रही है । अतएव इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

अतः मैं **पी. नरहरि, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं :-

इन्दौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र में ई-सिगरेट विक्रय को प्रतिबंधित किया जाता है । भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी इसका अपवाद होंगे ।

चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथ इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व इससे सम्बन्धित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा ।

District Magistrate,
District-Indore (M.P.)

सम्बन्धित एस0डी0एम0, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नगर निगम एवं पुलिस अधिकारीगण इस आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगे ।

यह आदेश दिनांक 24 /03/2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 24 /03/2017 से दिनांक 20 /05/2017 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।

(पी. नरहरि)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

क्रमांक / 732 /री.ए.डी.एम./ 2017 इन्दौर, दिनांक 24 /03/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग, भोपाल ।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज इन्दौर ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज, इन्दौर ।
5. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर ।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर
7. अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर ।
8. अति0पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/पूर्व/पश्चिम क्षेत्र/ झोन-1-2/ग्रामीण क्षेत्र ।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खुड़ैल / सॉवेर /महू / देपालपुर/हातोद.
10. एस0डी0एम0, विजयनगर, मल्हारगंज, सेन्ट्रल कोतवाली, जूनी इन्दौर, राऊ, संयोगितागंज ।
11. एस0डी0ओ0 पुलिस, इन्दौर, डॉ0अम्बेकर नगर(महू), सॉवेर, देपालपुर ।
12. नगर पुलिस अधीक्षक, विजयनगर, सराफा, मल्हारगंज, सेन्ट्रल कोतवाली, जूनी इन्दौर, अन्नपूर्णा, संयोगितागंज ।
13. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा/मुख्यालय, इन्दौर ।
14. अपर संचालक, जन सम्पर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अगेषित ।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
16. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन साईट पर अंपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
17. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत समस्त ....
18. निदेशक, आकाशवाणी, इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेषित ।
19. थाना प्रभारी, थाना ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ । उक्त आदेश का विस्तृत प्रचार-प्रसार लाउड स्पीकार से करवाने तथा प्रमुख स्थानों पर चस्पा हेतु ।
20. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।

जिला-दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate,
District-Indore (M.P.)